झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण, 1923 शकाब्द

संख्या 296

रांची, वृहस्पतिवार 29 नवम्बर, 2001

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय:—झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन सरकारी पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को सम्यक् प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदत्त है। वर्ष 1990 के पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा मात्र अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को, क्रमोवेश, जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाता रहा था। केन्द्र सरकार द्वारा मंडल आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि सम्पूर्ण भारत की लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग चिह्नित किया जा सकता है और इसलिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को भी सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। मंडल आयोग की अनुशंसा को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पूर्व से दिये जा रहे क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को भी 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया।

2. अविभाजित बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी पदों एवं सेवाओं में क्रमशः 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता रहा है। 1971 में तत्कालीन बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट की सम्यक् जांच के उपरांत सरकार ने 1978 में यह निर्णय लिया कि चूंकि सरकारी सेवाओं एवं पदों में अन्य पिछड़ वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है इसलिए राज्य की सभी श्रेणियों की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। लेकिन यह सुविधा उन्हीं परिवारों को मिले जिनकी वार्षिक आय आय-कर में छूट की सीमा से अधिक नहीं हो। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 20 प्रतिशत आरक्षित पदों में से अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 8 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। इसी के साथ अत्यंत पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़ वर्गों की सूचियां भी जारी की गयी। पुनः वर्ष 1978 में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी। गैर-अनुसूचित जाति गैर-अनुसूचित जनजाति एवं गैर-अन्य पिछड़े वर्गों में आर्थिक, दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1978 में ही 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया।

3- तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1992 में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991, (बिहार अधिनियम संख्या-3, 1992) लागू किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 4 में आरक्षण को निम्नलिखित रूप से विनियमित किया गया :-

(क)	खुली गुणागुण कोटि से :-	50 प्रतिशत
(ख)	आरक्षण कोटि से :-	50 प्रतिशत

आरक्षित कोटि की जो 50 प्रतिशत रिक्तियाँ थी उनको आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित रूप से विभाजित की गयी :-

(क)	अनुसूचित जाति :-	14 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति :-	10 प्रतिशत
(ग)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग :-	14 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग :	10 प्रतिशत
(ङ)	पिछड़ा वर्ग की महिला :-	2 प्रतिशत
	कुल :-	50 प्रतिशत

4- इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और अति विशेष परिस्थिति में ही 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। इस संबंध में विशेष परिस्थिति की विवेचना निम्न प्रकार से की गयी है :-

"While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extra-ordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far flung and remote areas the population inhabitating those area might, on account of their being out of the main stream of national life and in view of conditions peculiar to and characteristical to them, need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out."

5- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड राज्य सृजित हुआ और राज्य सरकार के समक्ष सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण तय किये जाने का नीतिगत मामला आया। सम्यक् रूप से विचारोपरांत, राज्य सरकार का यह निर्णय हुआ कि "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991" को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की

धारा 85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक संशोधनों के साथ अंगीकृत किया जाए।

6- राज्य सरकार को यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की उनकी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर कुल 71 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। झारखण्ड राज्य में भी लगभग वही स्थिति है। झारखण्ड राज्य में 1991 की भारत की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 27.67 एवं 11.85 है। भारत की जनगणना जो केन्द्र सरकार का विषय है, में अन्य पिछड़े वर्गों की जनगणना नहीं की जाती है, परन्तु तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993 के नियम 10 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों की जिलावार संकलित संख्या संबंधी अधिसूचना 1 सितम्बर, 1994 को जारी की गयी थी जिसके अनुसार झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 32.45 है। अतः इस राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में आच्छादित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 72 प्रतिशत है।

7- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का सरकारी सेवाओं में देय आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, श्री अर्जुन मुंडा मंत्री कल्याण, की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया जिसने सभी स्थितियों का सम्यक् विचारोपरान्त एक प्रतिवेदन समर्पित किया है।

8- उपरोक्त आरक्षण विषयक मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न जातियों, अर्थात्, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की स्थिति, उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन की स्थिति एवं अन्य विद्यमान कठिनाइयों, संविधान के सगत प्रावधानों और अन्य राज्यों में सेवा में आरक्षण के प्रतिशत के आँकड़ों की सम्यक् जाँच एवं विश्लेषण के उपरान्त पाया है कि नवसृजित झारखण्ड राज्य में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत तक सीमित रखने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को सरकारी पदों एवं सेवाओं में सम्यक् प्रतिनिधित्व नहीं दिलाया जा सकेगा। अतएव झारखण्ड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिये गये न्यायादेश के आलोक में वे विशेष परिस्थितियाँ बनती है जिनके आधार पर आरक्षण की कुल सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक रखे जाने की आवश्यकता है और इसी के आलोक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने कुल आरक्षण की सीमा 71 प्रतिशत रखने की अनुशंसा की है।

9. उक्त समिति द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की विवेचना अपने प्रतिवेदन में किया गया है :—

(क) वर्ष 1941 के बाद प्रत्येक जनगणना के अनुसार वर्तमान झारखण्ड राज्य के क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है। 1941 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 38.6 प्रतिशत थी, परन्तु वह क्रमशः 1951 में 36.03 प्रतिशत, 1961 में 33.93 प्रतिशत, 1971 में 32.12 प्रतिशत, 1981 में 30.26 प्रतिशत एवं अंत में 1991 में घटकर 27.67 प्रतिशत रह गई। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो 1971 में 9.93 प्रतिशत थी वह बढ़कर 1981 में 11.68 प्रतिशत एवं 1991 में 11.85 प्रतिशत हो गया।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार भारत के लोकसभा एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सीटों का जो आरक्षण किया गया है उसमें 1971 की जनगणना पर आधारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनगणना की ही मान्यता रखी गयी है।

वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर झारखण्ड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 32.12 प्रतिशत थी तब अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9.93 प्रतिशत था।

(ग) भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची (अनुच्छेद 244) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य का 50 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अतः भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों

को विशेष सुरक्षा प्रदान करने का मंशा स्पष्ट है और इस परिस्थिति में जब प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न कारणों, यथा—जन्म दर, मृत्यु दर, इन-माइग्रेशन, आऊट माइग्रेशन से इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा रहा है तो उनको सवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कोटि मानकर, उन्हें सेवा में अतिरिक्त आरक्षण देने का पूर्ण औचित्य बनता है ।

(घ) भारतीय संविधान के प्रारम्भ से ही प्राप्त आरक्षण के लाभ के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन में विशेष कमी नहीं आई है ।

(च) देश के विभिन्न राज्यों में भी बिना अपवाद के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात से कम आरक्षण की सुविधा नहीं दी गयी है, यथा—आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसख्या का प्रतिशत 15.93 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसख्या का प्रतिशत 6.31 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, केरल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 9.92 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसख्या का प्रतिशत 1.10 है जबकि दोनों ही कोटि को मिला कर सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है, तामिलनाडू में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 19.18 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसख्या का प्रतिशत 1.03 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 23.62 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसख्या का प्रतिशत 5.59 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, उड़ीसा में अनुसूचित जाति की जनसख्या का प्रतिशत 16.20 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसख्या का प्रतिशत 22.21 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत का लाभ दिया गया है ।

(छ) झारखण्ड राज्य में आरक्षण की सीमा कुल 50 प्रतिशत तक सीमित रखना इसलिए भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसख्या को मिला देने से लगभग 71 प्रतिशत हो जाता है और इन सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन व्याप्त है ।

(ज) सामान्य रूप से कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए । तामिलनाडू में विभिन्न पिछड़े वर्गों का 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देकर उसकी सीमा 69 प्रतिशत तक की हो गयी है और उसे संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है । इस पृष्ठभूमि में उप समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि झारखण्ड राज्य में न केवल 71 प्रतिशत कुल आरक्षण दिया जाए बल्कि भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की जो अनुशंसा झारखण्ड राज्य में अंगीकृत होने वाले इस अधिनियम के द्वारा की जा रही है, उसको तामिलनाडू की तरह संविधान की 9वीं अनुसूचा में सम्मिलित कर, भारत सरकार उसे सवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे ।

10. आरक्षण विषयक मंत्रिमडलीय उपसमिति के प्रतिवेदन में निहित अनुशंसाओं पर आधारित प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ रखा गया । सम्यक् रूप से विचारोपरांत, राज्य सरकार द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 को आवश्यक सशोधन के साथ अगीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

11. यह भी निर्णय लिया गया कि मंत्रिमडलीय उपसमिति द्वारा प्रस्तावित कुल 71 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर राज्य के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में कुल 73 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिससे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटियों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक आरक्षण का लाभ समानुपातिक रूप से प्राप्त हो सके । तदनुसार, कुल आरक्षण प्रतिशत को विभिन्न कोटियों में निम्नलिखित रूप से विनियमित करने का निर्णय लिया गया :—

(क)	खुली गुणागुण कोटि से	27 प्रतिशत
(ख)	आरक्षण कोटि से	73 प्रतिशत

12. आरक्षित कोटि को जो 73 प्रतिशत रिक्तियां है उनको आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाए :—

(क)	अनुसूचित जाति	14 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत
(ग)	अत्यत पिछड़ा वर्ग	18 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग	9 प्रतिशत
	कुल	73 प्रतिशत

13. उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अन्तर्गत ही निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी :—

(i)	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए : —	
(क)	अंधापन अथवा कम दृष्टि	1 प्रतिशत
(ख)	बहरापन	1 प्रतिशत
(ग)	लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी	1 प्रतिशत
	कुल	3 प्रतिशत
(ii)	महिलाओं के लिए—	5 प्रतिशत

14. यह भी निर्णय लिया गया कि इस अंगीकृत अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए।

आदेश:— (1) आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 को यथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आवश्यक संशोधनों के साथ, अंगीकृत करने संबंधी अधिसूचना निर्गत की जाए।

(2) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड एवं बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(एस० के० चौधरी),
सरकार के सचिव।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001

राज्य के अधीन पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के यथोचित प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा ;

(2) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा ;

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं :— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(क) (i) " नियुक्ति प्राधिकारी " जहां तक तक इसका संबंध किसी स्थापना में सेवा यह पद से है, से अभिप्रेत है वैसी सेवाओं या पदो पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी ;

(ii) " अधिनियम " से अभिप्रेत है, झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 ;

(ख) " विहित " से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली जो राजकीय गजट में प्रकाशित हुई हो, द्वारा विहित ;

(ग) " स्थापना " से अभिप्रेत है राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित है—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार; या

(ii) बिहार सरकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गई है और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहाय्यिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता है, और

(iii) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है ;

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान ;

(घ) " सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना " से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत, नियंत्रित या प्रबंधित हो :—

(i) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम-1; 1956) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के एकावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गयी हो ;

(ङ) " भर्त्ती वर्ष " से अभिप्रेत है वह पंचांग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती की जाती है ;

(च) " आरक्षण " से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण ;

(छ) "अनुसूचित जाति" का निर्देश भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन किए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" का निर्देश भारत-संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन बनाए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों से होगा ;

(झ) "अन्य पिछले वर्ग" से अभिप्रेत है—अत्यन्त पिछड़ वर्ग ;

(ञ) "अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित हैं वे सभी वर्ग जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 और 2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण—यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग को राष्ट्रपति के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जाएगा ।

(ट) "गुणागुण-सूची" से अभिप्रेत है अधिनियम में किए गए उपबंधों के अनुसार तैयार की गई गुणागुण-क्रम से क्रमांकित उम्मीदवारों की सूची ।

(ठ) "राज्य" में सम्मिलित है झारखण्ड राज्य की सरकार, विधान-सभा और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार ।

3. प्रयोज्यता—यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा :—

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन ;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन ;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन ;

(घ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति ; और

(ङ) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं ।

4. सीधी भर्ती के लिए आरक्षण—(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हों, निम्नलिखित रूप में विनियमित की जायेंगी, यथा :—

(क)	खुला गुणागुण कोटि से	27 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से ...	73 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि का 73 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियां इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन निम्नलिखित रूप में होंगी :—

(i)	अनुसूचित जाति	...	14 प्रतिशत
(ii)	अनुसूचित जनजाति	...	32 प्रतिशत
(iii)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	...	18 प्रतिशत
(vi)	पिछड़ा वर्ग	...	9 प्रतिशत
		कुल	73 प्रतिशत

(2) (क) उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत में प्रत्येक कोटि के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा :—

(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए :—

(क)	अन्धापन अथवा कम दृष्टि	...	1 प्रतिशत
(ख)	बहरापन	..	1 प्रतिशत
(ग)	लोकामोटिव विकलांग अथवा सेरिब्रल पालसी		1 प्रतिशत
		कुल	3 प्रतिशत

(ii) महिलाओं के लिए— ... 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी ;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा ।

(3) अरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, का गणना खुली गुणागुण की कोटि की 27 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी न कि आरक्षण कोटि रिक्तियों के विरुद्ध ।

(4) इस अधिनिम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी उपधारा (3) का उपबंध ऐसे मामलों में लागू होगा जिसमें चयन की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई किन्तु नियुक्ति-पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं ।

(5) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां ऐसे उम्मीदवारों से नहीं भरी जायेंगी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के न हों ।

(6) (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्त्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाए रखा जायगा और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हों, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायगा और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किए जाते हैं, के लिए आरक्षित समझा जाएगी ।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसी आरक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती वर्षों के लिए आरक्षित बना रहेगी और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो रिक्तियां अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेगी और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के योग्य उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किए जाते हैं, के लिए आरक्षित समझा जाएगी ।

(ग) यदि किसी भर्त्ती वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या, विनिमय फार्मूला के बाद भी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है तो शेष पूर्वागत (बैक लॉग) रिक्तियां, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से, उन्हें अनारक्षित करके भरी जा सकेंगी, किन्तु वैसी अनारक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती वर्षों तक अग्रणीत रहेंगी ।

(घ) यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार, अपेक्षित संख्या में, उपलब्ध न हो, तो केवल पिछली रिक्तियों को भरने के लिए, यथास्थिति, केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए ही नया विज्ञापन किया जा सकेगा ।

(ङ) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी धारा-4 का प्रावधान ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जिनमें चयन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, किन्तु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं।

5. आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन—(1) राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा-4 के प्रधान विभिन्न आरक्षित कोटियों के लिए नियत अनुपात में, धारा-2 के खण्ड (ग) एवं (घ) में यथा परिभाषित राज्य की सभी स्थापनाओं का विभिन्न सेवाओं या पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्राप्त हेतु प्रयास करे।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपनी आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन करेगी;

परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक निदेश किए जाने के बाद तुरन्त, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं, रखा जाएगा।

6. आदर्श रोस्टर—(1) राज्य सरकार राज्य और जिला स्तर दोनों की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दुओं और प्रोन्नति के लिए 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर विहित करेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कोटि के पदों के लिए सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विहित फार्म में पृथक चालू रोस्टर रखेगा।

7. रियायत—किसी भी सेवा या पद पर चयन के लिए परीक्षा हेतु विहित शुल्क, यदि कोई हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में घटाकर 1/4 कर दिया जाएगा।

8. सम्पर्क पदाधिकारी—सरकार के हरेक विभाग में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित मामले के सम्बन्ध में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा और वह निम्नलिखित का उत्तरदायी होगा—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) विवरणियों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करना;

(घ) रोस्टरों और यथाविहित ऐसे अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) प्रशासनिक विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना;

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के संगठन या किसी व्यक्ति से प्राप्त परिवादों के अन्वेषण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और आरक्षण आयुक्त को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना;

9. समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन :—राज्य सरकार हरेक स्थापना/प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी का मनोनयन करेगी।

10. अभिलेख मांगने की शक्ति :—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन नहीं करने से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, तो वह राज्य सरकार को नोटिस में उस तथ्य को ला सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार ऐसा अभिलेख मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

11. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई की सुरक्षा :—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं चलाई जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो।

12. शास्ति :—यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लघन कर नियुक्ति/प्रोन्नति करता है तो वह 1000 रुपए तक के जुर्माना या तीन महीने के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

13. अभियोजन :—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघन में किसी नियुक्ति या प्रोन्नति के सम्बन्ध में जब कोई शिकायत की जाए तब यथास्थिति जिला स्तर पर जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त या प्रमडलीय स्तर पर आयुक्त या राज्य स्तर पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भलीभाँति जाच के पश्चात् सरकार के अनुमोदन से नियुक्त पदाधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कर सकेगा।

(2) वैसे मामले जिनमें नियुक्ति पदाधिकारी समाहर्त्ता/उपायुक्त हो तो प्रमडलीय आयुक्त या प्रमडलीय आयुक्त हो, तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसा मुकदमा किया जाएगा।

14. कठिनाइयों का निराकरण :—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिस वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

(14) (अ) अधिनियम की अनुसूची-1 एवं 2 में जाति/वर्ग का जोड़ने या हटाने की शक्ति :—पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 अथवा अनुसूची-2 में किसी जाति, वर्ग को यथास्थिति जोड़ या हटा सकेगी।

15. नियम बनाने की शक्ति :—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा नियम बना निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले में उपबन्ध कर सकेगा, यथा –

(क) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा;

(ख) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता प्रदायी अंक;

(ग) वह फारम, जिसमें प्रत्येक स्थापना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ऐसी स्थापना में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(घ) कोई अन्य विषय जो रखा जाने वाला हो या इस अधिनियम के प्रावधानों से सम्बन्धित या उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई विषय।

परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम को बनाए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के सत्र में हो, रखा जाएगा, जो एक ही सत्र में या दो क्रमान्तर सत्र में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाए, उस सत्र में या उसके तुरन्त बाद वाले सत्र में सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद, वह आदेश, यथास्थिति, या तो रूपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बातिल होने से उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव :—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों तथा न्यायालयों के किए गए किसी निर्णय या डिक्री या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे ;

परन्तु, यह कि तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम, इस अधिनियम से पूर्व बने, निर्गत या जारी कोई आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं है, प्रभावी बने रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जावेंगे।

अनुसूची १

{कृपया देखें धारा २ (ञ)}

अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची

(1) कपरिया
(2) कानू
(3) कवार
(4) कलन्दर
(5) कोछ
(6) कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिवीजन के लिये।
(7) केवट (कउट)
(8) कादर
(9) कारा
(10) कोरक
(11) केवर्त्त
(12) कुमारभाग पहाड़िया
(13) खटवा
(14) (XXX)
(15) खतोरा
(16) खंगर
(17) खटिक
(18) खेलटा
(19) खतवे
(20) (XXX)
(21) गाड़ी (छावी)
(22) गंगाई (नगश)
(23) गगोता
(24) (XXX)
(25) गधर्व
(26) गुलगुलिया
(27) गोड़
(28) चांय
(29) चपोता
(30) चन्द्रवंशी (कहार)
(31) टिकुलहार
(32) ढेकारू
(33) तांती (ततवा)
(34) तमरिया
(35) तुरहा
(36) तियर
(37) धारु
(38) धानुक
(39) धामिन
(40) धीमर
(41) धनवार
(42) नोनिया
(43) नइया
(44) नाई
(45) नामशूद्र
(46) पाण्डा
(47) पान (भेड़िहार गड़ेरी)
(48) प्रधान
(49) पिनगनिया
(50) पहिरा
(51) बारी
(52) बेलदार
(53) बिन्द
(54) (XXX)
(55) सेखड़ा
(56) बागदी
(57) भूईयार
(58) भार
(59) (XXX)
(60) भास्कर
(61) माली
(62) मांगर
(63) मदार
(64) मल्लाह (सुरहिया)
(65) मझवार
(66) मारकन्डे
(67) मौरियारी
(68) मलार (मालहोर)
(69) मौलिक
(70) राजवाबी
(71) राजभर
(72) रगवा
(73) वनपर
(74) (XXX)
(75) सोटा (सोता)
(76) (XXX)
(77) अगरिया

(78) अघारी
(79) अबदल
(80) कसाव (कसाई) मुस्लिम
(81) चोक (मुस्लिम)
(82) डफाली (मुस्लिम)
(83) धुनिया (मुस्लिम)
(84) धोबी (मुस्लिम)
(85) नट (मुस्लिम)
(86) पमरिया (मुस्लिम)
(87) भठियारा (मुस्लिम)
(88) भाट (मुस्लिम)
(89) मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)
(90) मिरियासीन (मुस्लिम)
(91) मदारा (मुस्लिम)
(92) मोरशिकार (मुस्लिम)
(93) साई (मुस्लिम)
(94) मोमिन (मुस्लिम)
(95) अमात
(96) चुड़ीहार (मुस्लिम)
(97) प्रजापति (कुम्हार)
(98) राईन या कुजरा (मुस्लिम)
(99) सोय

नोट - उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए जैसे- तेली में दोनों हिंदू तथा मुसलमान तेली।

अनुसूची २

[कृपया देखें धारा २ (ञ)]

पिछड़े वर्गों की सूची

(1) (xxx)
(2) कागजी
(3) कमार (लोहार और कर्मकार)
(4) कुशवाहा (कोइरी)
(5) कोस्टा
(6) गद्दी
(7) घटवार
(8) (xxx)
(9) चनउ
(10) जदुपतिमा
(11) जोगी (जुगी)
(12) तमोली
(13) तेली
(14) देसहार
(15) नालबंद (मुस्लिम)
(16) (xxx)
(17) परया
(18) बढ़ई

(19) बड़ई

(21) बनिया (सूड़ी, सुनारि, रौनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, सिन्दूरिया, बनिया, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य; बंगाली बनिया, बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, पोद्दार, कथबनिया)

(21) मुकरी (मुकेरी) मुस्लिम

(22) मल्लाह (मलाह, बिन्द, गोढ़ी, चाई, केवट)

(23) राजवंशी (रिसिया या पोलिया)

(24) रंगरेज (मुस्लिम)

(25) रौतिया

(26) (xxx)

(27) लहेड़ी

(28) शिवहरी

(29) सोनार

(30) सूत्रधार

(31) सुकियार

(32) इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)

(33) ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)

(34) ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)

(35) कुर्मी (महतो)

(36) भाट (हिंदू)

(37) दांगी

नोटः—इन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए जैसे तेली में दोनों हिंदू तथा मुसलमान तेली।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 296—3 ...(—200)—सचिव मुद्रण।